

२३  
२५

प्रावली पैदा हुई। पार्थिव व वकील

पार्थिव उपस्थित नहीं। इनके अनुपस्थिति रहने  
के कारण पार्थिव-पत्र से संबंधित मूल दावा  
अदम्य पैरवी अदम्य हाफरी में खारिज हो चुका  
है। जिससे यह पार्थिव-पत्र भी अल्प कामी बनने  
योग्य नहीं है।

अतः यह पार्थिव-पत्र भी इन्हीं  
स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रावली निधि  
में शुमार की जावे तथा वरीष वकामिल की  
जाकर दाखिला कफतर की जावे।